रजिस्ट्रेशन सं. डी. एल.—33004/96 REGN. NO. D. L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 18, 1996/चैत्र 29, 1918
No. 11] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 18, 1996/CHAITRA 29, 1918

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1996

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (कार्यभार ग्रहण करने का समय) विनियमावली, 1995

सं. एन. एच. ए. आर.–12011/6/95-प्रशासन:—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 38) की धारा–9 के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एतद्द्वारा प्राधिकरण के हित में स्थानान्तरण के समय प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये ग्राह्य कार्यभार ग्रहण करने का समय निर्धारित करने का विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन विनियमों का नाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (कार्यभार ग्रहण करने का समय) विनियमावली 1995 होगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं : इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों–(क) "कार्यभार ग्रहण करने का समय" का अभिप्राय किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा किसी नये पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसके तैनाती के स्थान तक यात्रा करने के लिये अनुमत समय से है।

(ख) "अधिकारी अथवा कर्मचारी" का अभिप्राय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सेवा) विनियमावली 1995 के अध्याय 11 के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त प्राधिकरण का किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी से है,

(ग) "स्थानान्तरण" का अभिप्राय किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी का एक पद से दूसरे पद पर जाना है, चाहे वह पद उसी स्थान पर हो अथवा किसी अन्य स्थान पर, ताकि वह नये पद का कार्यभार ग्रहण कर सके अथवा यह उसके मुख्यालय के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हो।

3. कार्यभार ग्रहण करने के लिये ग्राह्य समय : प्राधिकरण के हित में स्थानांतरण होने पर किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने का समय प्रदान किया जायगा ताकि वह नया पद चाहे वह उसी स्थान पर हो अथवा किसी नए स्थान पर, का कार्यभार ग्रहण कर सके।

परन्तु निम्नलिखित मामलों में कार्यभार ग्रहण करने का कोई समय नहीं दिया जायगा :–

(क) अस्थायी स्थानान्तरण, जो 180 दिन की अवधि से अधिक न हो।

(ख) यदि ऐसा स्थानान्तरण अधिकारी अथवा कर्मचारी के अनुरोध पर किया गया हो।

4. कार्यभार ग्रहण करने के समय का प्रारंभ : कार्यभार ग्रहण करने का समय पुराने पद का कार्यभार छोड़ने की तारीख से प्रारंभ होगा, यदि कार्यभार पूर्वाह्न में छोड़ा जाये, अथवा अगली तारीख से प्रारंभ होगा, यदि कार्यभार पूर्वाह्न में छोड़ा जाये

5. वह स्थान जिससे कार्यभार ग्रहण करने के समय की गणना की जायेगी : कार्यभार ग्रहण करने के समय की गणना किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा अपने स्थानान्तरण के आदेश प्राप्त करने के स्थान अथवा अपने मुख्यालय से भिन्न किसी स्थान पर पुराने पद का कार्यभार छोड़ने अथवा जहां अधिकारी अथवा कर्मचारी के दौरे के समय का मुख्यालय का वह स्थान जहां से दौरे का स्थान बदल जाता हो अथवा जहां उसका अस्थायी स्थानान्तरण स्थायी स्थानान्तरण में परिवर्तित हो जाये, इन सबके सहित सभी मामलों में पुराने मुख्यालय से की जायेगी।

6. कार्यभार ग्रहण करने के समय की मात्रा : (1) किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को उसी स्थान पर नये पद का अथवा ऐसे पद का जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में आवास का परिवर्तन न करना पड़े, का कार्यभार ग्रहण करने के लिये एक दिन से अधिक कार्यभार ग्रहण करने के समय की अनुमति नहीं दी जायेगी।

स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजनार्थ शब्द "उसी स्थान" का अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है जो उपनगर नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र अथवा छावनी जो नगर पालिका, निगम अथवा स्थानीय निकाय के साथ संलग्न हों, के भीतर क्षेत्रों सहित किसी नगर पालिका निगम अथवा स्थानीय निकाय के कार्य क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों से है।

यदि किसी अधिकारी, अथवा कर्मचारी द्वारा किसी नये पद का कार्यभार ग्रहण करते समय ऐसे अधिकारी अथवा कर्मचारी की तैनाती का कार्यालय स्थल परिवर्तित नहीं होता तो कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई समय नहीं दिया जायेगा।

(2) किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे स्थानान्तरण के मामले में जिसमें आवास का परिवर्तन करना हो तो अधिकारी अथवा कर्मचारी को पुराने मुख्यालय और नये मुख्यालय के बीच की दूरी के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के समय और निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट दरों पर यात्रा के सीधे मार्ग और सामान्य साधन की अनुमति दी जायेगी। जब यात्रा समय के बाद छुट्टियां पड़ती हों तो कार्यभार ग्रहण करने का सामान्य समय ऐसी छुट्टियों तक बढ़ा हुआ समझा जायेगा।

समय-सारणी

पुराने मुख्यालय और नये मुख्यालय के बीच की दूरी	ग्राह्य कार्यभार ग्रहण समय
1000 कि.मी. या इससे कम	10 दिन
1000 कि.मी. से अधिक	12 दिन
2000 कि.मी. से अधिक	15 दिन, सिवाय हवाई यात्रा के जिसके लिये अधिकतम अवधि 12 दिन होगी।

7. कार्यभार ग्रहण करने के समय में वृद्धि : कार्यभार ग्रहण करने के लिये पूर्व पैराग्राफों में बताई गई समय सीमा में अधिकतम 30 दिन की वृद्धि की अनुमति सदस्य (प्रशासन) द्वारा दी जा सकती है जिसका दिशा निर्देशक सिद्धांत यह होगा कि कार्यभार ग्रहण करने की समस्त अवधि लगभग इतनी होनी चाहिये जितनी पूर्व पैराओं में बताई गई है और यात्रा में लगने वाला समय और छुट्टियां यदि बढ़ाये गये समय के बाद कोई हों। यात्रा के समय की गणना करते समय हड़ताल अथवा प्राकृतिक विपदाओं के कारण परिवहन प्रबंधों के अस्त-व्यस्त होने की वजह से अपरिहार्य रूप से लगे समय और नये स्टेशन तक की यात्रा के लिये उपलब्ध किसी स्टीमर अथवा परिवहन के किसी अन्य साधन के चलने के लिये प्रतीक्षा समय को शामिल किया जा सकता है।

8. कार्यभार ग्रहण करने के अप्रयुक्त समय को छुट्टियों के खाते में जोड़ना : यदि कोई कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करने का पूरा समय व्यतीत किए बिना नए पद का कार्यभार ग्रहण करता है तो इन विनियमों के अधीन यथा स्वीकार्य कार्यभार ग्रहण करने के दिवसों की

संख्या में से वस्तुत: लगे दिवसों की संख्या को कम करके शेष दिवसों को औसत वेतन पर छुट्टी के अनुसार उसके छुट्टियों के खाते में जमा कर दिया जायगा। छुट्टियों के खाते में कार्यभार ग्रहण करने के समय को छुट्टियों के खाते में औसत वेतन पर संचित छुट्टियों के सामान्य प्रतिबंध के अध्यधीन जोड़ा जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने के ऐसे समय के बदले कोई विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकार्य नहीं होगा।

9. कार्यभार ग्रहण करने के समय को छुट्टियों के साथ शामिल करना: कार्य भार ग्रहण करने के समय को आकस्मिक छुट्टियों को छोड़कर अन्य छुट्टियों और/अथवा किसी प्रकार की नियमित छुट्टियों अथवा समयावधि के साथ शामिल किया जा सकता है।

10. यदि किसी कर्मचारी को यात्रा के दौरान प्रारंभिक स्थानान्तरण आदेशों में सूचित स्थान से भिन्न स्थान पर जाने का निदेश प्राप्त होता है तो वह संशोधित आदेश प्राप्त होने की तारीख तक व्यतीत हुए कार्यभार ग्रहण समय और संशोधित आदेश प्राप्त होने की तारीख से अगली तारीख के बाद कार्यभार ग्रहण करने की पूरी नई समयावधि व्यतीत करने का पात्र होगा। ऐसे मामलों में कार्यभार ग्रहण करने की नई समयावधि की गणना संशोधित आदेश प्राप्त होने के स्थान से ऐसे की जायेगी जैसे वह उसी स्थान से तैनाती के नए स्थान के लिए स्थानान्तरित हुआ हो।

11. कार्यभार ग्रहण करने के समय का वेतन और भत्ते: किसी कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के समय की अवधि के दौरान ड्यूटी पर तैनात होने के समान समझा जायेगा और वह पुराने पद का प्रभार छोड़ने से पूर्व प्राप्त कर रहे वेतन के समान कार्य भार ग्रहण करने के समय का वेतन प्राप्त करने का पात्र होगा। वह महंगाई भत्ता, यदि कोई हो, तो कार्यभार ग्रहण के समय के वेतन के उपयुक्त नगर प्रतिपूर्ति भत्ता की तरह प्रतिपूर्ति में जिस स्थान से स्थानान्तरण हुआ वहां पर यथा लागू मकान किराए भत्ते का पात्र होगा परन्तु वह कार्यभार ग्रहण करने में अपने प्रतीक्षा समय के लिए लिए वाहन भत्ते अथवा स्थायी यात्रा भत्ते का हकदार नहीं होगा।

गोलक नाथ, सदस्य (वित्त एवं प्रशा.)

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(National Highways Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 1996

THE NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA (JOINING TIME) REGULATIONS, 1996

No. NHAR-12011/6/95-Admn.—In exercise of the powers conferred by section 35 read with section 9 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations prescribing the joining time admissible to officers and employees of the Authority when transferred in the interest of the Authority, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Joining Time) Regulations, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions :—In these regulations, unless the context otherwise requires :—(a) "joining time" means the time allowed to an officer or employee to join a new post or to travel to a station to which he is posted ;

(b) "officer or employee" means an officer or employee of the Authority appointed in accordance with the provisions of Chapter II of the National Highways Authority of India (Service) Regulations, 1995 ,

(c) "transfer" means the movement of an officer of employee from one post to another either within the same station or to another station to take up duties of a new post or in consequence of change of his headquarters.

3. Joining time when admissible :—Joining time shall be granted to an officer or employee on transfer in the interest of the Authority to enable him to join the new post either at the same or a new station :—

Provided that no joining time shall be admissible :—(a) in case of temporary transfer for a period not exceeding 180 days.

(b) in case where such transfer is at the request of the officer or employee.

4. Commencement of joining time :—Joining time shall commence from the date of relinquishment of charge of the old post if the charge is made over in the forenoon or the following date if the charge is made over in the afternoon.

5. Place from which the joining time is calculated :—The joining time shall be calculated from the old headquarters in all cases including where an officer or employee receives his transfer orders or makes over the charge of the old post in a place other than his headquarters or where the headquarters of the officer or employee while on tour is changed to the tour station itself or where his temporary transfer is converted into permanent transfer.

6. Amount of joining time :—(1) Not more than one day's joining time shall be allowed to an officer of employee to join a new post within the same station or an post which does not involve change of residence from one station to another.

Explanation :—For the purpose of this regulation, the expression "same station" denotes the area

falling within the jurisdiction of a municipality, corporation or local body including the areas falling within the suburban municipality, notified area or cantonment contiguous to the municipality, corporation or the local body.

Provided that where the joining of a new post by an officer or employee does not involve change in the office of posting of such officer or employee, no joining time shall be allowed.

(2) In a case involving transfer from one station to another involving the change of residence, the officer or employee shall be allowed joining time with reference to the distance between the old headquarters and the new headquarters by direct route and ordinary mode of travel at the rates specified in the Table below. When holidays follow the journey time, the normal joining time may be deemed to have been extended to cover such holidays.

THE TABLE

Distance between the old headquarters and the new headquarters	Joining time admissible
1000 kms or less	10 days
More than 1000 kms.	12 days
More than 2000 kms	15 days except in case of travel by air for which the maximum period will be 12 days.

7. Extension of Joining Time :—Extension of joining time beyond te limits indicated in the previous paras, may be allowed upto a maximum limit of 30 days by the Member (Admn.) the guiding principle being that the total period of joining time should be approximately as indicated in the previous paras plus reasonable transit time plus holidays, if any, following the extended time. While computing the transit time, allowance may be made for the time unavoidably spent due to disruption of transport arrangement caused by strike or natural calamities, on awaiting the departure of a steamer or any other mode of transport that may be available for travel to the new station.

8. Crediting leave account with unutilised Joining Time :—

When an employee joins the new post without availing of the full joining time, the number of days of joining time as admissible under these regulations subject to the maximum of 15 days, reduced by the number of days actually availed of, shall be credited to his leave account as leave on average pay. The credit of joining time to the leave account will be subject to the usual restriction on accumulation of leave on Average Pay in the leave account. No special Casual Leave in lieu of joining this time be admissible.

9. Combination with Vacation :—Joining time may be combined with vacation and/or regular leave of any kind or duration except casual leave.

10. When Transfer Orders are modified :—If an employee in transit it directed to proceed to a place different from that indicated in the initial transfer orders, he shall be entitled to joining time already availed of upto the date of receipt of the revised orders plus a fresh spell of full joining time from the date following the date of receipt of the revised orders. The fresh spell of joining time in such cases shall be calculated from the place at which he received the revised orders as if he was transferred from that place to the new place of posting.

11. Joining Time Pay and Allowances :

An employee on joining time shall be regarded as on duty during that period and shall be entitled to be paid joining time pay equal to the pay which was drawn before relinquishment of charge in the old post. He shall be entitled to Dearness Allowances, if any, appropriate to the joining time pay, compensatory allowance like City Compensatory Allowance, House Rent Allowance as applicable to the old station from which he was transferred but he shall not be entitled to conveyance allowance or permanent travelling allowance for the period of joining time awaited by him.

NEELAM NATH, Member (F & A)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996